न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण संख्या 43/2024

अनंत सिंह बनाम नरेन्द्र सिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.07.2025	अधिवक्ता प्रार्थी श्री नवीन गुर्जर उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 श्री अमरसिंह गुर्जर उपस्थित। उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई के समक्ष प्रकरण नरेन्द्र सिंह बनाम रामराय वगैरा मु.नं. 202/2021 साक्ष्य वादी की स्टेज पर नियत है। जिममें दिनांक 6.12.2024 को प्रकरण में प्रार्थी न्यायालय हाजा में साक्ष्य देने के लिये तारीख पेशी पर आया था। न्यायालय कैम्पस में प्रार्थी को अप्रार्थी सं.1 नरेन्द्र सिंह मौजूद मिला, जो प्रार्थी को देखकर कहने लगा कि मेरी अधिकारी से सांठ गांठ हो गई है। अब जल्दी ही मुकदमें का अपने पक्ष में फैसला करवा लूँगा। उसके बाद न्यायालय में जाकर अपने अधिवक्ता के जरिये प्रार्थी पर गवाहान को धमकाने का झूठा आरोप लगाना शुरू कर दिया। जिस पर पीठासीन अधिकारी ने नरेन्द्र सिंह का ही पक्ष लिया। नरेन्द्र सिंह पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ करके प्रार्थी को न्याय से वंचित करने पर आमादा है। प्रार्थी को न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई के पीठासीन अधिकारी श्री रामसिंह राजावत से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार कर प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावें। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में यह स्वीकार किया गया है कि प्रकरण साक्ष्य वादी में नियत है। किन्तु प्रार्थी द्वारा साक्ष्य वादी की कार्यवाही को रोकने तथा प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने एवं अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिये पीठासीन अधिकारी पर मिथ्या आरोप लगाकर यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य सबूत भी पेश नहीं किये गये हैं। इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमावें। उप जिला कलक्टर बांदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट में अंकितानुसार प्रकरण में नियमित रूप से विधिवत सुनवाई की जा रही है तथा प्रकरण साक्षवादी जिरह में नियत है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोप मनगढन्त, असत्य एवं निराधार है। पत्रावली को अन्यत्र कहीं स्थानान्तरित करने में कोई आपत्ति नहीं है। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में विचाराधीन प्रकरण उनवानी नरेन्द्र सिंह बनाम रामराय वगै. साक्ष्य वादी जिरह में नियत है। प्रकरण को लम्बित रखने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया जाना प्रतीत होता है। पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपो के सम्बन्ध में भी कोई साक्ष्य, सबूत पेश नहीं किये गये है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर प्रविष्ठ अभिलेखा[illegible] जावे। निर्णय आज दिनांक 17.07.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Ramswaroop Chauhan Date: 2025.08.12 12:36:23 IST Reason: SelfAttested (रामस्वरूप चौहान) अति. जिला कलक्टर, दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official